तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/4900/2005/बीकानेर इस्माइल बनाम सरकार निगरानी/कोलो/4903/2005/बीकानेर मो. युनुस बनाम सरकार	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित–

श्री वी.पी.सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी

श्री रामसुख चौधरी, उपराजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 20.01.2023

प्रार्थीगण ने यह दोनों निगरानी धारा 22 (3) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (आवंटन एवं विक्रय नियम) 1975 के अन्तर्गत अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सर्तकता) बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या–52/2003 बउनवान राजस्थान सरकार बनाम इस्माइल एवं प्रकरण संख्या 161/2003 बउनवानी सरकार बनाम मोहम्मद यूनुस में पारित निर्णय दिनांक 24–08–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

दोनों प्रकरणों के तथ्य, विवाद बिन्दू एवं पक्षकारों के समान होने से विद्वान अधिवक्तागण की सहमति से इन दोनों निगरानी प्रकरणों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। निर्णय प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे।

दोनों प्रकरणों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तत्कालीन आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छतरगढ मु0 बीकानेर ने आदेश दिनांक 24–9–1990 को प्रार्थी इस्माइल पुत्र खुदाबक्स को ग्राम पूगल के खसरा नम्बर 103 में 50बीघा बारानी भूमि एवं प्रार्थी मोहम्मद युनुस पुत्र अब्दुल वाहिद को ग्राम पगल के खसरा नम्बर 104 में 40बीघा बारानी भूमि का आवंटन किया। उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु राज्य पक्ष की ओर से तहसीलदार, पूगल ने अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, सतर्कता, बीकानेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 24–8–2005 से स्वीकार कर आवंटन आदेश को निरस्त कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी पेश की है।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी।

विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए मुख्य रूप से तर्क कि अप्रार्थी की ओर से आवंटन के बारे में जो त्रुटिया बताई गयी थी उनको पूरा करने का जिम्मा प्रार्थी का नहीं होकर आवंटन अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारियों का था। अप्रार्थी ने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/4900/2005/बीकानेर इस्माइल बनाम सरकार निगरानी/कोलो/4903/2005/बीकानेर मो. युनुस बनाम सरकार	नम्बर व तारीख
	प्रत्यक्ष तौर पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है कि प्रार्थी ने गलत तौर पर अथवा छल कपट द्वारा आवंटन प्राप्त किया है। प्रार्थी ने आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन हेतु आवेदन पत्र मांगे जाने पर विधि अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें जानबुझकर कोई तथ्य नहीं छुपाया और ना ही गलत तथ्य पेश किया बल्कि प्रार्थी बरवक्त आवंटन भूमिहीन कृषक था जिसे पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर आवंटन अधिकारी द्वारा जरिये लॉटरी आवंटन किया था और आवंटन उपरान्त प्रार्थी को आवंटित भूमि का कब्जा नियमानुसार प्रदान किया, जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थी का आवंटन वर्ष 1990 का है जिसे मात्र चन्द तकनीकी त्रुटियों के आधार पर निरस्त किया जाना विधिसम्मत् नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाकर आवंटन आदेश को बहाल रखा जावे। विद्वान राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी ने तर्क किया कि आवंटन सलाहकार समिति की पंजिका में दर्ज प्रोसिडिग दिनांक 24–9–1990 में जिन व्यक्तियों के समक्ष लॉटरी निकाली गई उनका नाम दर्ज करने के पश्चात् सकलाहकार समिति के सदस्यों एवं आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पर किसी सक्षम अधिकारी के प्रस्तुतीकरण के हस्ताक्षर नहीं है। आवेदकगण ने अपने आवेदन में परिवार का विवरण दर्ज नहीं किया तथा पूर्व धारित भूमि के कॉलम खाली पडे है और शपथपत्र पर शपथ आयुक्त के हस्ताक्षर के नीचे सत्यापन की दिनांक अंकित नहीं की गयी है। लाटरी पर्ची पर लॉटरी निकालने की क्रम संख्या, जो बताई गयी है, वह भिन्न है और प्रार्थी के फोटो फार्म में उनके हिस्से परिवार की भूमि आना दर्शाया गया है किन्तु आवंटन आवेदन में उसका अंकन नहीं है और प्रार्थीगण ने ऐसे सबूत पेश नहीं किये जिससे वे लगातार ग्राम रामडा के निवासी स्पष्ट होते हो। इस प्रकार आवंटन नियम विरूद्ध किया गया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् आदेश से अपास्त किया गया है। अतः निगरानी खारिज की जावे। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत आवंटन पत्रों पर सक्षम अधिकारी के प्रस्तुतीकरण के हस्ताक्षर नहीं है। आवंटन सलाहकार समिति की कार्यवाही रजिस्टर जो फोटो स्टेट के रूप में कार्यालय में उपस्थित है जिसके अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि सक्षम घोषित किये गये आवेदनपत्रों पर सलाहकार समिति के सदस्यों एवं आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। आवंटन पत्र के सभी कॉलम खाली है। परिवार के सदस्यों के नाम नहीं है और किसी भी सदस्य द्वारा कोई भूमि नहीं दिखाई गयी है। इस्माइल पुत्र खुदाबक्स का नाम क्रम संख्या–35 पर जबकि लॉटरी पर्ची संख्या–88 अंकित है। इसी प्रकार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/4900/2005/बीकानेर इस्माइल बनाम सरकार निगरानी/कोलो/4903/2005/बीकानेर मो. युनुस बनाम सरकार	नम्बर व तारीख

मोहम्मद युनूस पुत्र अब्दुल हमीद का नाम लॉटरी रजिस्टर में अंकित नहीं है फिर भी पर्ची संख्या–42 अंकित की गयी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है लॉटरी पर्ची संख्या एवं क्रम संख्या में अन्तर है। प्रार्थीगण को दिनांक 12–3–1990 को आवंटन का पात्र मानते हुए आवंटन के लिए सक्षम घोषित किया और छः माह के बाद लॉटरी निकालने की सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 24–9–1990 को रखी गयी। अर्थात छः माह बाद लॉटरी निकाली गयी जबकि फोटो प्रमाणपत्र में प्रार्थी इस्माइल व मोहम्मद युनुस के फोटो फार्म में भी रिपोर्ट पटवारी के अनुसार वर्ष 1958 की निर्वाचन सूची में उनका या उनके पिता का नाम अंकित नहीं है। उक्त भूमि चकबन्दी होने के बाद ही आवंटन होने योग्य होती है किन्तु बारानी भूमि का आवंटन किया गया है, जिसका नियमों में कोई प्रावधान नहीं है और प्रार्थीगण का हिस्सा या उनकी आराजी का हिस्सा होना भी अंकित नही है और दादा पिता का नाम होना भी अंकित नहीं किया गया है। जबकि आवंटन नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रार्थी अपने आवेदन में अपने व अपने कुटुम्ब की आराजी को बतायेगा और इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–306/2000 रतिराम बनाम सरकार निर्णय दिनांक 23–2–2000 द्वारा भी इन नियमों का विश्लेषण करते हुए रिट याचिका खारिज की गयी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए आवंटन निरस्त किया है और इसी प्रकार मण्डल हाजा द्वारा भी दो अन्य पत्रावलियां का निर्णय दिनांक 14–10–2019 को करते हुए उक्त निगरानी खारिज की है और अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक समान था। अतः ऐसी स्थिति में भी इन प्रकरणों में कोई सार नहीं है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों निगरानी याचिका खारिज की जाती है तथा अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सर्तकता) बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या–52/2003 बउनवान राजस्थान सरकार बनाम इस्माइल एवं प्रकरण संख्या 161/2003 बउनवानी सरकार बनाम मोहम्मद यूनुस में पारित निर्णय दिनांक 24–08–2005 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर को भिजवाया जावे।

निर्णय की सूचना कम्प्यूटर कर दर्ज कर प्रदान की गयी। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य